

आप क्रीमीलेयर में नहीं आते

राज्य क्रीमीलेयर मापदंड 25.02.03 व 08.09.93 (केन्द्र) के अनुसार केवल निम्न पद वाले पिछड़ावर्ग के शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी ही क्रीमीलेयर में आते हैं।

- (1) नियम 2 (क)- माता-पिता में से कोई एक सीधी भर्ती से प्रथम श्रेणी अधिकारी।
 - (2) नियम 2 (ख)- माता-पिता दोनों सीधी भर्ती से द्वितीय श्रेणी अधिकारी।
 - (3) नियम 2 (ख)- सीधी भर्ती से पिता प्रथम श्रेणी अधिकारी परन्तु 40 वर्ष की आयु के पूर्व प्रथम श्रेणी में नियुक्त।
- विशेष टीप (राज्य 25.02.03)- नियम 2 (क) एवं (ख) तथा 3 के अतिरिक्त कोई भी केन्द्रीय या प्रादेशिक अधिकारी कर्मचारी क्रीमीलेयर में नहीं आयेंगे।
 - स्पष्टीकरण (केन्द्र 14.10.04)- सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय वेतन व कृषि से होने वाली आय को नहीं गिना जायेगा। रु. 4.50 लाख वार्षिक की सीमा केवल व्यापार की आय हेतु लागू होगी।
 - आवेदन पत्र- सभी श्रोतों से परिवार की वार्षिक आय (वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर दर्शाना है)

वार्षिक आय 75000 रुपये से कम होने पर निजी महाविद्यालयों में ओ.बी.सी. को शिक्षण शुल्क की छूट है।